



ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। उन्होंने देशनोक के पलाना गांव की रोही में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया।

अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की होगी

बीकानेर, 22 मई (कास)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी. दूर देशनोक के पलाना गांव की रोही में हुई विशाल जनसभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारी जवाब दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दो दृक संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगांम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से और देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे

■ जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में पहचान बनायेगी।

■ पलाना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले बालाकोट के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली सभा यहाँ हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ऐसा संयोग बना है।

हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है और अब तो मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा, न ही बातचीत होगी। यदि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को

वापस लेने की। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमापार पाकिस्तान का रहीमयार

खान एयरबेस अगले कई दिनों के लिए बंद हो चुका है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस-नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान की रीफाइनी का काम भी अंतिम चरण में है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान और बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रम्प के मध्यस्थता के दावे को केवल कल्पना बताया

ट्रम्प की नाराज़गी सहने के लिये भारत को तैयार रहना पड़ेगा

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। "अमेरिका केवल अमेरिका तक ही सीमित था।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

10 मई को युद्धविराम घोषित होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव देकर यह शांति स्थापित करवाई थी।

जो कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच की संवेदनशीलता और विवाद की पुष्टि से जरा भी परिचित है, वह जानता है कि ट्रंप का यह दावा कितना अतार्किक और हास्यास्पद है। यही कारण है कि भारत, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्धविराम केवल दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के डील मेकर का क्रेडिट लेने की कोशिश को खारिज करने के निस्संदेह अलग नतीजे होंगे। इससे

■ ट्रम्प के दंभ भरे दावों को अब विश्व ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, चाहे एक ही दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की घोषणा हो, या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी हो, या यमन के हूती को अपनी भारी नौ सेना से डराने का प्रयास हो, या ईरान के अयतुल्ला खमेनी को चेतावनी देने की कोशिश हो।

■ अतः बार-बार भारत-पाक के बीच अपनी मध्यस्थता से सीज़फायर कराने का दावा, ट्रम्प की मजबूरी बन गया है।

■ पर, भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्रम्प को इस "सीज़फायर" के लिए कोई भी श्रेय नहीं देना, ट्रम्प प्रशासन के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस खीज की गाज, भारत पर गिर सकती है।

पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि यदि वे चुने जाते हैं तो यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं-जो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना साबित हुई। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल रहने के बावजूद, ट्रंप लगातार खुद को रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया का नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि

दावा किया कि यूक्रेन युद्ध केवल तब खत्म होगा, जब वे स्वयं पुतिन से बात करेंगे। उनके कैबिनेट सदस्य बार-बार उनकी "शानदार शक्तिशाली" की तारीफ करते रहे, उनका मत था कि ट्रंप का करिश्माई व्यक्तिगत पुतिन को शांति की ओर ले जाएगा।

हालांकि, पुतिन से दो घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद भी शांति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी। उल्टा, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे यूक्रेनी जनता को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप की इन लगातार कूटनीतिक विफलताओं के बीच, अमेरिका इतना व्यग्र है कि "सफलता" के मामूली से संकेत तक को लपक लेना चाहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नौसेना पर हमला किया, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठा को गहरा अघात पहुंचा। इसके बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका और ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 22 मई। महिला उल्पीडन मामलों की विशेष अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाह के तीन माह बाद ही विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में उसके पति विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन

■ मृतका के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने बताया था कि उसका पति व ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते हैं।

अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुंदर भविष्य का सपना देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है। उस समय लड़की के मन में यह विश्वास होता है कि उसका पति, उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने

सतपाल मलिक, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर थे तथा उस दौरान उन पर किरू में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का ठेका देने का आरोप लगाया गया था

- डॉ. सतीश मिश्रा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 मई। प्रतिशोध का मामला प्रतीत होने वाली एक कार्यवाही के अन्तर्गत, सी बी आई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह प्रकरण कौरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रु. के 'सिविल वर्क्स' का ठेका दिये जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अधिकारियों ने आज कहा कि एंजेंसी ने 3 साल की जांच पड़ताल के बाद, अपने निष्कर्ष एक विशेष अदालत में पेश कर दिये हैं। इस प्रकरण मलिक एवं पांच अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं।

आज 'एक्स' पर डाली गई पोस्ट में मलिक ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं।

पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उनके

■ सीबीआई ने इस आरोप की तीन साल तफतीश करके यह चार्जशीट दाखिल की है।

■ सतपाल मलिक ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि वे किसान पुत्र हैं तथा सरकार उन्हें डराना व दबाना चाहती है, पर, वे झुकेंगे नहीं।

■ सतपाल मलिक ने एक्स पर यह भी कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा अस्वस्थ हैं। अतः उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, जो उन्हें फोन कर रहे हैं।

पास बहुत से शुभचिन्तकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर पा रहे हैं। सी बी आई गत वर्ष फरवरी में इस केस के संबंध में मलिक एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी।

सी बी आई ने 2022 में एफ आई आर दर्ज करने के बाद, एक बयान में कहा था कि यह केस 2019 में कौरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर (एच ई पी) प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का 2200

करोड़ रु. का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिये जाने में की गई कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

मलिक, जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों पर स्वीकृति देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, 22 मई। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने

■ अभियुक्त ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबर्न दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 32 प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी हमलों में भूमिका को समझाने, विश्व यात्रा पर निकले

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम में, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के 32 प्रमुख नेताओं के सात प्रतिनिधिमंडलों ने लगभग तीन दर्जन देशों की कूटनीतिक यात्राओं की शुरुआत की है। इन सभी का एक ही उद्देश्य है: भारतीय भूमि पर लंबे समय से चल रही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की नीति के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना, जिसके कारण निर्दोष पर्यटकों और नागरिकों की जानें गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब इतने व्यापक स्तर पर राजनीतिक सहयोग नजर आया है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी दलों के साथ एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

दुर्लभ एकता के इस प्रदर्शन के बावजूद भी इस पहल ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के चयन में संबंधित दलों से औपचारिक सलाह-मशविरा नहीं किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को कथित तौर पर पार्टी की औपचारिक सहमति के बिना शामिल किया गया, क्रिकेटर से राजनेता बने तुषमूल सांसद युसुफ पठान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसने दलों के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई, जो प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा

■ पर, एक प्रकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मोदी सरकार की सराहनीय सफलता का मुँह में पूरा स्वाद आता उससे पहले कुछ किरकिरी आ गई, विपक्ष की कुछ पार्टियों की इस शिकायत से कि उनसे पूछा नहीं गया, उनके नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने से पहले।

■ इस आंतरिक विवाद का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में "महायुति" गठबंधन में भी उथल-पुथल हो सकती है। शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार के दोनों धड़े अब एक होने के प्रयास में लगभग सफल हो गये हैं तथा देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार को इससे मजबूती मिलेगी।

■ प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस नीति से घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो गई है, जिसका असर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी समय तक प्रभावी रहेगा।

प्रचारक से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा पर लंबे समय से नजर रखते आए हैं, ने इस कदम की

आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए,

प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति पार्टियों के भीतर आपसी कलह को जन्म दे रही है। एकता के नाम पर इस तरह का

विभाजनकारी कदम निराशाजनक और राजनीतिक रूप से खतरनाक है।" राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कूटनीतिक मिशन का प्रभाव विदेश नीति से परे भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों धड़े, शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाला पुनः एकजुट होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह मेल होता है, तो राज्य की सत्ता-संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है।

यह एकता सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसका नेतृत्व भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस कर रहे हैं, को लाभ पहुंचा सकती है। राज्य भाजपा के सूत्रों के अनुसार, एकजुट राकांपा सरकार को कुछ नीतिगत रियायतों के बदले सशर्त समर्थन दे सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर, 22 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की

■ अदालत ने पुरुषोत्तम दाधीच की पेपर लीक मामले में दायर अपराधिक याचिका खारिज की।

एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में संरेडर करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। –इटैलियन कहावत

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न राय के लिये भेजे हैं, जनता उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट की राय जानने को

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल, 2025 में जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल शीर्षक के केस में दिया था, जिसमें यह माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अपने पास अनिर्णित रखने का अधिकार एक सीमा तक होना चाहिये और न्यायालय ने तीन माह की सीमा निर्धारित की। इस निर्णय की वैधता पर उपराष्ट्रपति धनखड ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि 'हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा।' अब राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न भेजे हैं और कोर्ट की सलाह मांगी है। इनमें एक प्रश्न उपरोक्त विषय के बाबत भी है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जानना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत 3 महीने की समय अवधि तय कर सकते हैं, जबकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीया राष्ट्रपति ने उक्त फैसले को संवैधानिक मूल्यों, संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं के विरुद्ध माना है, इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी माना है।

इस पर विचार करने के हेतु हमें संविधान व अनुच्छेद 143 को समझना होगा, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 200 व 201 की व्याख्या करनी होगी। समय सीमा नहीं है, फिर भी क्या राज्यपालों व राष्ट्रपति के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वे अपने पूर्ववर्ती फैसल पर पुनः विचार कर निर्णय दे सकते हैं, वह भी अनुच्छेद 143 के आधार पर।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 निम्नलिखित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है:–

1. अनुच्छेद 200के तहत७ राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह और मदद के लिए बाध्य है?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की पूरी तरह रोक सकता है?
5. संविधान में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
7. क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है?
8. क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?
9. क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है?
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है?
11. क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सबीकृत के बिना लागू किया जा सकता है?
12. क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों को भेजना अनिवार्य है?
13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है, जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो?
14. क्या केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

हमारा संविधान कई विशिष्टताओं से भरा हुआ है। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने 'हमारा संविधान' नामक पुस्तक में जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वे अद्भुत हैं और निम्नलिखित हैं:–

“भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। वह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास सांघे–ढाँचे में या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनन्य तथा नन्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का मिश्रण है इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तिगतों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्तों के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान में अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जीवित रहा। यह बात स्वयंमेव उसकी सुस्पष्टता, सक्रियता और सर्ववृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।”

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। जहां कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। संसद कतिपय प्रतिबन्धों के रहते हुये संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं जो दर्शाता है कि संविधान विकास की गति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत को सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उद्घोषणा की है कि लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ अर्थात् न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सब समान हैं, अपने कार्य में, अपने–2 अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं।

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम

मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है यदि उसके विषय में उसका विचार हो कि ऐसी राय मानना समीचीन है। यह राय केवल सलाह के रूप में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिये अपनी राय देना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Special Reference No.1/1964 में यह मत अभिव्यक्त किया है। Re the Special Courts Bill, 1978 में कोर्ट ने ईंगित किया है कि यदि कोर्ट इन्कार करे तो उसके कारण देना आवश्यक है।

अयोध्या बाबरी मस्जिद के केस रैफरेंस संख्या 1/1993 को न्यायालय ने रैफरेंस को बिना उत्तर दिये लौटा दिया था। अहमदाबाद सेन्टजेवियर कॉलेज सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के केस में (1974)एससीसी 717) माना है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई ऑपिनियन बाध्यकारी नहीं है। हाँ, यह वजन रखती है; किन्तु यह भी सच है कि जस्टिस बाबू जी चन्द्रचूड ने यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह सभी कोर्ट्स के लिये बाध्यकारी होना चाहिये।

कावेरी विवाद के मामले में (Special Reference No. 1 of 1998) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रैफरेंस की शक्ति को अपीलव्य शक्ति नहीं माना जा सकता।

कावेरी रैफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राष्ट्रपति पूर्ववर्ती निर्णित किये हुये मामले में रैफरेंस नहीं कर सकते। क्योंकि जब निर्णय दिया है तो फिर शक की कोई संभावना नहीं रहती। 2७ रैफरेंस ऑफ 2012 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी विषय पर कोई निर्णय है तो पुनः कोई कार्यवाही नहीं हो सकती (Central for Public Interest Litigatin vs UOI, 2012)

उपरोक्त कुछ मामले, जिनका उल्लेख किया है विषय को समझने व निर्णित करने में सहायक हो सकते हैं। अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी बात पूरे देश के (सभी न्यायालयों पर लागू है)। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायलय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। किन्तु यह भी सच है कि क्या कोई बात कहने मात्र से, उसे कानून माना जा सकता है। इसका उत्तर 'ना' में दिया है, क्योंकि तर्क के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कानून घोषित हुआ है।

संसद जब विधेयक (एक्ट) बनाती है तो उसमें प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति की एसेंट प्राप्त करे और यह घोषित करे कि वह जनता पर कब लागू होगा। विधेयक (अधिनियम), गजट विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित तारीख से लागू होता है। ऐसा भी देखा गया है कि संसद ने कानून तो पारित कर दिया, किन्तु लागू करने की विज्ञप्ति ही जारी नहीं की। Industrial Disputes Act 1947 में एक संशोधन 1982 में हुआ, जिससे Industry की परिभाषा में परिवर्तन किया गया; किन्तु संशोधन एक्ट के लागू होने की तारीख आज तक घोषित नहीं की। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां सरकार कानून बना देती है, किन्तु वह लागू नहीं करती। कानून लागू करने के हेतु हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया को एक्जीक्यूटिव आदेश न मानकर विधायिकी प्रक्रिया माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के प्रकरण में राज्यपाल को विधेयकों को लम्बित रखने को असंवैधानिक करार दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल, तेलंगाना व पंजाब राज्यों में वहां के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लम्बित रखने से राज्य सरकार के कामों में बाधा पैदा हो रही है।

किसी विधेयक को लम्बित रखने की सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सरकार ने चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने अनुव्देद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है।

चुनौती देने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है तथा यह भी बहस का ज़ा रही है कि लोकतांत्रिक सरकारों पर किसी प्रकार का बन्धन जर्नाहित के विरुद्ध है, क्योंकि सरकार जनता की सरकार है।

राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाकर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राय मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिये किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये समय सीमा तय कर सकता जबकि संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं है? (पूछे गये 14 प्रश्नों का यह सार है)। एक दृष्टिकोण ऊपर अभिव्यक्त किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम अनेकान्त भाव से विचार करें तो यह हो सकता है कि अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने के हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा किया जा सकता है, यदि उक्त अनुच्छेद की परिस्थितियां विद्यमान हों। सके अतिरिक्त अनुच्छेद 141 भी यह निर्देश देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी घोषणा कानून है।

अब उपरोक्त 14 प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कानून स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिये बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार का अधिकार है। मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



सुनील दत्त गोयल

कश्मीर घाटी की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रश्न केवल सुरक्षा या आर्थिक विकास का नहीं है – बल्कि वहां की जनसांख्यिकीय संरचना (अर्द्धज्म एंस्ले) का है। जब तक घाटी में जनसंख्या का सामंजस्य नहीं स्थापित किया जाता, तब तक किसी भी योजना या नीति की सफलता अधूरी ही मानी जाएगी। 199० में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक था।

मस्जिदों से खुलेआम धमकियाँ दी गईं, गैर मुस्लिम लोगों के घरों पर हमले हुए, बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनका सरेंआम कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया,

लूटपाट की गईं, उनको जमीन जायदाद और अपने घरों से बेदखल किया गया और इतना वीभत्स नरसंहार हुआ कि आज उसकी कल्पना मात्र से भी दिल कांप उठता है और पूरा का पूरा समुदाय अपनी ही ज़मीन से दर-ब-दर कर दिया गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगे उन अस्थायी कैपों से लेकर आज भी विस्थापन का दर्द झेलते परिवारों तक – यह घाव आज भी हरा है। द कश्मीर फाइल पिक्चर में इसके अंश लोगों ने देखे हैं और वह उससे कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में जो अंश दिखाए गए उससे कई गुना अधिक उनकी भयानकता थी।

घाटी में पहले कश्मीरी पंडितों, सिखों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति और उनका बौद्धिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक योगदान रहा है। लेकिन कट्टरपंथी सोच और अलगाववादी मानसिकता ने वहां एकपक्षीय धार्मिक पहचान को जबरन स्थापित करने की कोशिश की – और काफी हद तक सफल भी हुए।

जनसंख्या का संतुलन क्यों जरूरी है?

कश्मीर घाटी की एकांगी

जनसंख्या संरचना केवल सामाजिक

असंतुलन का कारण नहीं है, बल्कि यह

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी दीर्घकालिक

खतरा है। जब घाटी में स्थानीय समर्थन

के बल पर विदेशी आतंकवादी शरण पाते हैं, जब ओवर टाउंड वर्कर आतंकियों को आश्रय एवं सूचनाएं भी देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल सीमा पार से नहीं, भीतर से भी है। कश्मीर में एक वार्ड ऐसा है जो आतंकवादियों का खुला समर्थन करता है, और दूसरा वर्ग है जो व्यापार के लिए मीठी-मीठी बातें करता है, शांति के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर जुलूस निकालता है। लेकिन यह उनकी दोहरी नीति है – आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो स्थानीय व्यापारी सच में शांति और ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसे यह बताना होगा कि कौन लोग आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। अगर वह सच में ईमानदार है, तो उन्हें अपने आसपास की सच्चाई सरकार को बतानी होगी। एक ओर मोमबत्तियां जलाकर शांति की बातें होती हैं, तो दूसरी ओर उसी मोहल्ले से आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में अगर कोई यह कहे कि घाटी में आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ चल सकते हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक भ्रम होगा।

समाधान क्या है?

जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक मात्र

विकल्प नहीं है, लेकिन यह सबसे

निर्णायक विकल्प जरूर है।

सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के युवाओं, अंगन वीरों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों, ऐसे लोगों और व्यापारियों को जो अपने व्यापार का विस्तार कश्मीर में करना चाहते हैं तथा राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत नागरिकों को घाटी में पुनर्वासित करने की योजना तैयार करें। उन्हें:–

भूमि, आवास और रोजगार व बैंकों से सुविधाजनक कर्ज की सुविधाएं दी जाएं,

वहां सम्मानजनक जीवन यापन की गारंटी हो,

और एक वर्ष की अनिवार्य सैन्य

प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा में भी

सहभागी बनाया जाए।

यह रणनीति घाटी में स्थायी शांति

और विकास के लिए आधार तैयार

करेगी।

क्या यह व्यावहारिक है?

बिल्कुल। धारा 37० के हटने से

बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार

भारतीय कानून और नीतियों को समान

रूप से लागू करने का अवसर मिला है।

निवेश बढ़ रहा है, नौकरियां पैदा हो रही

हैं – लेकिन अगर इस बदलाव का लाभ

केवल एक सीमित समुदाय तक ही रहे,

तो ना तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के

हित में होगा और ना ही वहां के व्यापार

और उद्योग जगत के सर्वांगीण विकास

के लिए उचित होगा। क्योंकि सरकार जितना बड़ा विकास कश्मीर घाटी के लिए करना चाहती है उसके लिए उतने ही संसाधनों की और मानव श्रम की और मानवीय लोगों की जरूरत रहेगी और उसके लिए बाहर के राज्यों के लोगों को वहां विस्थापित करना आवश्यक है जो कि वहां के स्थानीय लोगों के हित में भी रहेगा और व्यापार उद्योग जगत के लोगों के भी हित में रहेगा। कश्मीर की वास्तविक ‘विकास गाथा’ तब लिखी जाएगी, जब वहां का जनसंख्यिकीय संतुलन भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुलतावादी और समावेशी होगा। यह न केवल विस्थापितों के साथ ऐतिहासिक न्याय होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और समरस भारत की नींव भी होगी। सरकार को अब संकोच नहीं, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता दिखाने की जरूरत है। कश्मीर में अगर स्थायी समाधान चाहिए, तो डेमोग्राफिक चेंज ही वो निर्णायक चाबी है, जो दरवाजा खोल सकती है – शांति और समरसता का।

धन्यवाद,

–सुनील दत्त गोयल,

महानिदेशक, इम्पीरियल

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टेिक

एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर,

राजस्थान

रोजगार के बेहतर विकल्प माध्यमिक शिक्षा के साथ हो



राजेन्द्र जोशी

शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है। अंकों का जोड़-तोड़ शिक्षार्थी को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। शिक्षा के जरिए स्कूलों में काम का वातावरण और संस्कृतियों में परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा , शिक्षकों के साथ उनकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा। तभी वह अपना प्रभावों ढंग से काम करते हुए शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों को काकर्षक कर सकेंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उच्चशिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मध्य में उपयोगी वोकेशनल कोर्स संचालित किये जाए ,जिससे छात्रों को काम करने में सक्षम बनाया जा सके। जरूरत प्रैक्टिकल स्किल और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की है, बच्चों का मन व्यावसायिक शिक्षा की तरफ एकदम से नहीं जा

सकता। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का कोई परिवारिक परिवेश व्यवसायिक नहीं होता। एक बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित करने से पहले ऐसे शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो व्यवसायिक शिक्षा के लिए खुद पूरी तरह प्रशिक्षित हों। अनेक बार हम यह मान लेते हैं की शिक्षक हर कार्य में पराजित होगा। शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन करियर प्रबंधन में उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत सदैव बना रहनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान

शिक्षार्थी को विद्यार्थी परामर्श केंद्र के

माध्यम से उसकी इच्छा और रुचि

टटोलनी होगी। शिक्षार्थी माध्यमिक

शिक्षा तक यह समझ ही नहीं पाता कि

उसे अब किस ओर अपना कैरियर

बनाना है। यह सही और जरूरी वक्त

होता है जब शिक्षार्थी को उचित सलाह

और परामर्श मिले। यह परामर्श

माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद नहीं

अपितु माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही

वह अपना मानस और मस्तिष्क यह

तय कर ले कि माध्यमिक शिक्षा के

उपरांत उसे क्या काम करना है, नौकरी

करनी है तो किस सेक्टर में करनी है,

व्यवसाय करना है तो किस सेक्टर में

करना है। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम

से उसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो

कैसे जाना है, उसकी रुचि के अनुसार

उसका मस्तिष्क एकग्र हो जाना

चाहिए। वर्तमान समय में बाजार में

विकल्प बहुत है, लेकिन उचित

मार्गदर्शन और चयन की समस्या बनी

हुई है, अगर समय रहते शिक्षार्थी को उचित मार्गदर्शन मिले और उसके साथ ही उसे जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त हो तो विकल्प तराशने में आसानी हो सकती है।जिससे वह अपना आगे का कैरियर चुन सके। बेहतर विकल्प चुनने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित कैरियर सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों को उनके भविष्य के बारे में सही दिशा दिखा सके। कैरियर सलाहकार पूरे समय विद्यालय के दौरान छात्रों से परिचित रहे, और उनकी रुचि, क्षमता और लक्ष्य को समझे। उनकी क्षमताओं को समझकर सही कोर्स, व्यवसाय और नौकरी के विकल्प बता सके।

व्यवसायिक शिक्षा के कोर्स

माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ

संचालित किये जा सकते हैं। शिक्षार्थी

को माध्यमिक शिक्षा के बाद कहीं और

भटकना न पड़े और अपने विद्यालय

के माध्यम से वह अपने वोकेशनल

सिर्सेज चुनते बेहतर विकल्प तलाश

कर ले। वैसे भी देश में युवाओं की

बढ़ती बेरोजगारी हमारी सरकारों और

समाज की चिंता बनी हुई है। इस गंभीर

समस्या से निपटने के लिए माध्यमिक

शिक्षा स्तर पर विकल्प तलाश करना

ही उचित होगा।

देशभर में बढ़ती बेरोजगारी से

निजात पाने के लिए इस चुनौती को

स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति के

अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में

व्यवसायिक विषय को पढ़ाने के लिए

पर्याप्त संख्या में परामर्शक, प्रशिक्षित

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इसके लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला एवं अन्य उपकरण जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जरूरी नहीं है कि परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक– सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर स्कूलो का एक समूह गठन कर पांच-दस किलोमीटर के दायरे में अपने वहां सभी स्कूलों में ऐसे लोग समय निर्धारित कर विद्यार्थियों को परामर्श दे सकते हैं। चुनौती यह है कि बेरोजगारी की समस्या पर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही मूल्यंकन और आंकलन किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे देश के विद्यार्थी रोजगार, व्यवसायिक कि तरफ अपने बेहतर विकल्पों का चयन कर लें।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थानों से परिचित होना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाना चाहिये हो सके तो विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थाओं की विजिट भी करवाई जा सकती है। कोर्सेज तलाशने और प्रशिक्षण रुचि अनुसार 12 वीं कक्षा से पूर्व और 12 वीं कक्षा के दौरान दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। देश भर में रोजगार के अनेक विकल्प है उसमें से बेहतर विकल्प वर्ष में विद्यार्थी को चुनने का अवसर मिलेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। विचार तो इस पर भी

होना चाहिए की 12 वीं कक्षा के बाद एक वर्ष और उसी विद्यालय में कोर्सेज संचालित किया जाए। जिससे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षार्थी को कहीं और न जाना पड़े। वहीं वोकेशनल कोर्स करने की व्यवस्था हो सके इस विषय पर शिक्षा प्रशासन और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक स्कूलों परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल राजकीय स्कूलों तक सीमित ना हो बल्कि पब्लिक स्कूल, निजी स्कूलों और सार्वजनिक स्कूलों में भी इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। हां यह जरूर है कि अगर उनके पास इसकी उचित व्यवस्था प्रारंभ में ना हो तो राजकीय परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक निजी और सार्वजनिक स्कूलों की मांग पर उनको सेवाएं उपलब्ध करा सके। व्यवसायिक शिक्षा एक साथ संचालित हो तभी बेहतर विकल्प शिक्षार्थी के पास उपलब्ध हो सकेंगे। देश की बेहतरों के लिए व्यवसायिक शिक्षा ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था व्यवसायिक शिक्षा के साथ भविष्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। तभी हम अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान तलाशने में कामयाब हो सकेंगे।

–राजेन्द्र जोशी,

जिला स्तरीय जल जीवन मिशन की बैठक संपन्न

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में 34वीं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन के निधर्तिर लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि लक्ष्य पूरा नहीं होने को गंभीरता से लिया जाएगा। जिला कलक्टर ने पेयजल में गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेम्पल की संख्या बढ़ाई जाए। जहां कहीं भी गुणवत्ता

में कमी पाई जाए वहां बिना विलम्ब के सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। विभिन्न क्षेत्रों में साथ ही कोचिंग परियाेन के रूप से पेयजल के नमूने निरंतर लिए जाएं। मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में भी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता दीपक कुमार झा ने बताया कि जिन ग्रामों में हर घर जल नल पूर्णतः उपलब्ध हो चुका है, वहां ग्राम सभा में प्रमाणीकरण करवा कर हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2024-25/639 सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक:- 22.5.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्डधारी/आवेदक श्रीमती इन्दु शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी रावतभाटा ने आवेदन प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा द्वारा लाट्टरी दिनांक 31.12.2007 के अनर्गत आपंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 442 श्रेणी (ब) आसि 30X50 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट अर्थात् 139.41 वर्गमीटर श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के पुन: विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।
प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखण्ड पालिका द्वारा लाट्टरी दिनांक 31.12.2007 अनर्गत श्री नाथि मिश्रा पिता श्री नौसे मिश्रा निवासी रावतभाटा को आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण रशि एवं एकमुस्त 10 वर्ष की लीज राशि जमा होने के उपरान्त पालिका द्वारा लीज डीड क्रमांक 496 दिनांक 19.03.2008 व पंजीयन दिनांक 30.03.2008 से जारी की गयी है। तथा इसके उपरान्त मूल आवंटि ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखण्ड को आवेदक श्रीमती इन्दु शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी रावतभाटा को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 24.04.2008 से विक्रय किया गया। जिसका नामान्तरण पालिका रिफाई में स्वीकृति पत्रांक 446 दिनांक 03.05.2013 से दर्ज किया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है और वर्तमान में भूखण्ड खाली है।
चूंकि इस भूखण्ड पर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नहीं किया जाने के कारण भूखण्ड वर्तमान में खाल: निरुक्त को श्रेणी में है, जिसका नियम एवं बदली विभागीय आदेशानुसार पुनर्गठन शुल्क वसूल किया जाकर एवं इस भूखण्ड के आवंटन/विक्रय को 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण पुन: विक्रय बाबत पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होने से इस कार्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
अत: उक्त आवासीय भूखण्ड को पुन: विक्रय करने की पालिका द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र किये जाने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/वैक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रश्कान से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योस्ताक्षरकारों के कार्यालय में मय साक्ष्य सहित के अगनी आपत्ति/उत्तरादरी प्रस्तुत कर सकते है। पहात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।
अधिशापी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2025-26/636 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक:- 21.5.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चिराग छाबड़ा पिता श्री रमेशचन्द छाबड़ा निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में आवेदन मय शपथ पत्र एवं बाबित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित प्रतियांप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के भूखंड संख्या 246 श्रेणी (अ) साईफ 25X50 कुल 1250 वर्गफीट अर्थात् 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तांतरण अपने भूखंड संख्या 102 करने व बाद नामान्तरण हेतु भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्सागुमोहन हेतु आवेदन मय पत्रकी की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया है।
प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखण्ड पालिका द्वारा लाट्टरी दिनांक 31.12.2007 अनर्गत श्री अजयम गरीबाध्या पिता स्व. श्री नारायण गरीबाध्या (श्यामरामकंडूवर) को आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण रशि एवं एकमुस्त राशि राशि 10 वर्ष की जमा होने के उपरान्त पालिका द्वारा लीज डीड क्रमांक 773 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 24.04.2008 से जारी की गई। जिसके उपरान्त आवंटि ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 29.04.2008 के जरिये श्रीमती कमलदेवी धाकड़ पत्नी श्री कल्याणचन्द धाकड़ निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण पालिका रिफाई में स्वीकृति पत्रांक 3536 दिनांक 03.12.2012 से दर्ज किया गया। इसके उपरान्त उक्त नामान्तरण ने पालिका से विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 18.03.2013 से श्रीमती मृदुला शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण पालिका रिफाई में दर्ज नहीं करवाया गया तथा श्रीमती मृदुला शर्मा द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 24.02.2025 से आवेदक श्री चिराग छाबड़ा पिता श्री रमेशचन्द छाबड़ा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। जिसके आधार पर आवेदक ने भूखंड का नामान्तरण नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं बाद नामान्तरण भूखंड पर आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति व नक्सागुमोहन प्रभावी मंडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत जारी गई है।
अत: उक्त भूखंड का हस्तांतरण/पालिका रिफाई में आवेदक के नाम दर्ज कर भवन निर्माण स्वीकृति व नक्सागुमोहन किए जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/वैक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उत्तरादरी हो तो इस प्रश्कान से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योस्ताक्षरकारों के कार्यालय में मय साक्ष्य सहित के अगनी आपत्ति/उत्तरादरी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।
अधिशापी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2025-26/636 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक:- 21.5.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चिराग छाबड़ा पिता श्री रमेशचन्द छाबड़ा निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में आवेदन मय शपथ पत्र एवं बाबित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित प्रतियांप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के भूखंड संख्या 246 श्रेणी (अ) साईफ 25X50 कुल 1250 वर्गफीट अर्थात् 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तांतरण अपने भूखंड संख्या 102 करने व बाद नामान्तरण हेतु भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्सागुमोहन हेतु आवेदन मय पत्रकी की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया है।
प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखण्ड पालिका द्वारा लाट्टरी दिनांक 31.12.2007 अनर्गत श्री अजयम गरीबाध्या पिता स्व. श्री नारायण गरीबाध्या (श्यामरामकंडूवर) को आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण रशि एवं एकमुस्त राशि राशि 10 वर्ष की जमा होने के उपरान्त पालिका द्वारा लीज डीड क्रमांक 773 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 24.04.2008 से जारी की गई। जिसके उपरान्त आवंटि ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 29.04.2008 के जरिये श्रीमती कमलदेवी धाकड़ पत्नी श्री कल्याणचन्द धाकड़ निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण पालिका रिफाई में स्वीकृति पत्रांक 3536 दिनांक 03.12.2012 से दर्ज किया गया। इसके उपरान्त उक्त नामान्तरण ने पालिका से विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 18.03.2013 से श्रीमती मृदुला शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण पालिका रिफाई में दर्ज नहीं करवाया गया तथा श्रीमती मृदुला शर्मा द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 24.02.2025 से आवेदक श्री चिराग छाबड़ा पिता श्री रमेशचन्द छाबड़ा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। जिसके आधार पर आवेदक ने भूखंड का नामान्तरण नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं बाद नामान्तरण भूखंड पर आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति व नक्सागुमोहन प्रभावी मंडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत जारी गई है।
अत: उक्त भूखंड का हस्तांतरण/पालिका रिफाई में आवेदक के नाम दर्ज कर भवन निर्माण स्वीकृति व नक्सागुमोहन किए जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/वैक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उत्तरादरी हो तो इस प्रश्कान से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योस्ताक्षरकारों के कार्यालय में मय साक्ष्य सहित के अगनी आपत्ति/उत्तरादरी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।
अधिशापी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)
क्रमांक:-न.निको-न/उ.उपायुक्त जेनर द्वितीय/भ.पि.अनु./2025/1940 दिनांक:- 21.5.25
स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार मालवीया पुत्र स्व. श्री टीकम चन्द मालवीया निवासी मालवीय सदन मेडिकल्स मार्केट जवाहरपुर होटल के पास लाधपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 122 एल.एन.ई.एच. दादबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का भूखण्ड स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 122 एल.एन.ई.एच. दादबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन अधिनियम मण्डी क्रमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1(3)क म/विकास/60/672 दिनांक 10.02.1961 से श्रीमती राम कुंवर बाई पुत्री श्री राम चम्पा जी को किये गया। श्रीमती राम कुंवर बाई ने जर्व वसीयत दिनांक 20.06.1976 से उक्त भूखंड को वसीयत श्री जतिशचरण मालवीया पुत्र श्री राम कल्याण के नाम कर दी। श्रीमती राम कुंवर बाई का देहवासन दिनांक 31.07.1991 को हो जाने के उपरान्त श्री जतिशचरण मालवीया जर्व रजिस्टर्ड उपहार बिलेख पत्र दिनांक 23.11.2000 से उक्त भूखंड श्री प्रदीप कुमार मालवीय पुत्र श्री टीकम चन्द मालवीया को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण को कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञपित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान
क्रमांक:-न.निको-न/उ.उपायुक्त जेनर द्वितीय/भ.पि.अनु./2025/1970-71 दिनांक:- 21.5.2025
स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नरवर्तन जेनर पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश नैन निवासी 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा क्षेत्रफल 462.50 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा क्षेत्रफल 462.50 वर्गफुट की लीज डीड दिनांक 30.09.1977 से कार्यालय नगर विकास न्याय कोटा द्वारा श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मन्तर लाल के पक्ष में जारी की गई है। श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 06.07.1997 को हो जाने के उपरान्त उनके विधित विधिक वारिसना श्रीमती दुर्गा देवी मिलत एल.पी पंकज मिलत द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2024 से भूखण्ड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान
क्रमांक:-न.निको-न/उ.उपायुक्त जेनर द्वितीय/भ.पि.अनु./2025/1966-67 दिनांक:- 21.5.25
स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नगर निवासी 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजता योजना कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजता योजना कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजता योजना कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर की परपंच्युअल लीज डीड क्रमांक 133 दिनांक 12.09.1995 से कार्यालय राजस्थान आवासन बोर्ड कोटा द्वारा श्री पंचू लाल नगर पुत्र श्री गौर लाल एवं श्री भंवर लाल नगर पुत्र श्री पंचू लाल नगर के पक्ष में जारी की गई है। कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा श्री पंचू लाल नगर के अधिवर्धित आधे भाग का नामांतरण वसीयत के आधार पर आदेश क्रमांक 13741-42 दिनांक 28.01.2016 को श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नगर के पक्ष में किया गया है। श्री भंवर लाल नगर की मृत्यु दिनांक 01.04.2024 को हो चुकी है। श्री भंवरलाल नगर द्वारा आरोहित वसीयतनामा दिनांक 27.12.2024 से भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजता योजना कोटा के स्वयं के आधे अधिवांशित भाग की वसीयत आदेशिका श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नगर के पक्ष में की गई है। उक्त भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजता योजना कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञपित जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)
क्रमांक:-न.निको-न/उ.उ.प्रमुख जेनर द्वितीय/भ.पि.अनु./2025/2060 दिनांक:- 22.5.2025
स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अश्विक पाटील पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण पारिक निवासी-एफ 1-108 मेचीनगर वैशाली नगर व्यंजपुर (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखण्ड संख्या-330 शाली नगर दादबाड़ी कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नगर हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या-330 शाली नगर दादबाड़ी कोटा क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का कार्यालय मण्डी क्रमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक-लेखा/मण्डी/60 दिनांक 28.12.1969 को श्री कैलाश नारायण पारिक पुत्री श्री राधावल्लभ को आवंटन किया गया। श्री कैलाश नारायण पारिक पुत्र श्री राधावल्लभ की मृत्यु दिनांक 19.05.2019 को हो चुकी है। श्रीमती सीता कुमारी पारिक पत्नी स्व.श्री कैलाश नारायण पारिक की मृत्यु दिनांक 24.11.2017 को हो चुकी है। दोनों की मृत्यु उपरान्त उनके शेष विधिक वारिसना श्रीमती तत्पत्न्या पुत्री स्व.श्री कैलाश नारायण पारिक द्वारा अपना हक पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 31.05.2019 से श्री अश्विक पारिक पुत्र स्व.श्री कैलाश नारायण पारिक के पक्ष में त्याग दिया है। श्री अश्विक पारिक पुत्र स्व.श्री कैलाश नारायण पारिक के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञपित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजा राममोहन राय की जयंती सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाई

रामगंजमण्डी, (निसं)। राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगंजमंडी में गुरुवार को राजा राममोहन राय की जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस मनाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेश कला मंडल अध्यक्ष भाजपा रामगंजमण्डी ने की। वहीं मुख्य अतिथि अखलेश मेड़तवाल रहे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में सुधीर सुनेजा मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रामगंजमंडी पुस्तकालय विकास कमटी के सदस्य बलराम त्रिवेदी रामकुमार भारद्वाज व ओमप्रकाश जैन सहित आदि सदस्यगण मंचासीन रहे। सर्वप्रथम सामान्य मंच द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई एवं राजा राममोहन राय के छायाचित्र माल्याणन किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती वंदना पुस्तकालय की पाठक माया कुमारी एवं चंचल मोणा द्वारा की

राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगंजमंडी में राजा राममोहन राय जयंती मनाई गई।

गई। इसके पश्चात पुस्तकालय स्टॉफ कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय अध्यक्ष, लखविंदर सिंह कनिष्ठ सहायक व हितेश

चौधरी आदि के द्वारा मंचासीन अतिथियों का माला पहनकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैलाश चंद्र राव

कांग्रेस की बैठक हुई

कोटा, (निसं)। संविधान बचओ जिला स्तरीय 31 मई को होने वाली शहर एवं देहात की संयुक्त रैली की तैयारियों को लेकर गुरुवार को सायं 4 बजे कांग्रेस कार्यालय गुमानपुरा पर बैठक रखी गयी जिसको अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमटी के जिलाध्यक्ष रविन्द्र त्यागी ने की बैठक में लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल रैली प्रभारी पानाचंद मेघवाल एवं देशराज दीधार रहे मौजूद नाग-नागिन मंदिर स्थित मोधी च छात्रावास में 31 मई को होने वाली आयोजित रैली में सम्म्लित होने की तैयारियों को लेकर रविन्द्र त्यागी, प्रहलाद गुंजल, प्रभारी मेघवाल, देशराज मोणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उन्हें रैली कार्यक्रम को रूपरेखा बनाई।

आज बिजली बन्द रहेगी

छबड़ा (निसं)। 33/11 केवी छबड़ा जोएसएस से संचालित खाखारा, निपानिया, चावलखेड़ी व जैपला फ़ीडरों पर मरम्मत कार्य होने के कारण 5 घण्टे समस्त फ़ीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता जयेन्द्र सिंह झाला ने बताया कि 33/11 छबड़ा जोएसएस से संचालित खाखारा, निपानिया, चावलखेड़ी व जैपला फ़ीडरों पर मरम्मत कार्य के चलते आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक समस्त फ़ीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

खोया पाया

संगीता पुत्री रामलाल रोहिड़ा मकान नं. 2-भ-21 झुलेलाल मंदिर के पास विज्ञान नगर कोटा का मूल आवंटन पत्र कब्जा

पत्र डिव्लोरेशन व इन्वेंटरी गुम हो गए है किसी को मिलने पर सूचित करें।

पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा राजा राममोहन राय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला साथ ही राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता द्वारा राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं एवं दिए जाने अन्य आर्थिक परिलाभों से पाठकों और अतिथियों को अवगत कराय़ा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेड़तवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि 22 मई को राजाराम मोहन राय की जयंती मनाई जाती है, राजा राम मोहन राय की जयंती को राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता हैं। यह दिन सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्व को उजागर करता है और लोगों को पुस्तकों और ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे।

अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। वहीं मुख्य अतिथि व अध्यक्ष नगरपालिका रामगंजमंडी मेड़तवाल द्वारा पुस्कालय परिसर में इंटरलॉकिंग व पीथों की सुरक्षा के लिए तार फिक्सिंग सहित इत्यादि कार्य करवावे का मौके पर ही आदेश दिया गया। जम्मु कुमार मिश्रा हिमांशु मिलतल रामगंजमण्डी की ओर से पाठकों के वास्ते शुद्ध व शीतल जल की व्यवस्था के लिए वॉटर कूलर पुस्तकालय परिसर मे लगाने की घोषणा की।अंत मे अतिथियों एवं पाठकों का आभार और धन्यवाद लखविंदर सिंह सहायक द्वारा किया गया। पुस्तकालय के पाठक सुनील कुमार मीणा, कन्हैयालाल, अंकुश कुमार, चंचल, मिनाक्षी, माया कुमारी, मर्जिया व सुनील सहित आदि लगभग 50 पाठक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

‘शहर में इस योजना के तहत कई लोग लाभान्वित होंगे’

रामगंजमण्डी, (निसं)। नगरपालिका क्षेत्र रामगंजमण्डी में निवास करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के लिए अच्छी खबर है। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके व्यवसायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है। इसमें जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शहर की निकाय के लिए 126 का टारगेट दिया गया है।

योजना के दीनदयाल अंत्योदय को शहर के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) में शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के लिए

ऋण उपलब्ध कराया जाता था।

सरकार ने पिछले साल के अंत में उक्त योजना को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने से स्ट्रीट वेडर्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। राजस्थान सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की है। इसमें भी जरूरतमंद एवं श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त जानकारी देते हुए अधिशाषी अधिकारी तरुण कुमार लहरी ने बताया कि इसके लिए ऐसे महिला/पुरुष जो उक्त

टैनिस प्रतियोगिता में हुए रोमांचित मैच कोटा, (निसं)। राजस्थान टेनिस संघ एवं जिला टेनिस संघ के संयुक्त तत्वावधान में 18 मई से 25 मई तक आयोजित हो रहे कोटा टेनिस प्रीमियर लीग के डबल्स फाइनल मैच के चौथे दिन के शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल आनंद एवं खेल प्रेमी मनोज सोनो ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। मनोज सोनो ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने एवं प्रतियोगिता में आने वाली टीमों के प्रशंनमार्गों के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रतियोगिता प्रभारी अमरेंद्र कुमार के अनुसार आज के चौथे दिन बैक ऑफ बड़ादा टीम ने रॉयल रोड्स टीम को मैच में 3-0 से हराया। बैक स्ट्रेट स्ट्रोक्स टीम के प्रमुख खिलाड़ी तेज एवं इशान की जोड़ी ने कुमार और अर्पित की जोड़ी को 6-0 से, इशान और अर्पित की जोड़ी ने प्रमुख प्रवीण और विपिन की जोड़ी को 6-3 से हराया। अंतिम मैच रजनीश एवं विपिन की जोड़ी ने 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कॉमर्स कामांडो टीम ने मेट एडवोकेट टीम को 3-0 से हराया।

‘शहर में इस योजना के तहत कई लोग लाभान्वित होंगे’

रामगंजमण्डी, (निसं)। नगरपालिका क्षेत्र रामगंजमण्डी में निवास करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के लिए अच्छी खबर है। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके व्यवसायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुम्बई स्थिति योजना प्रारंभ की गई है। इसमें जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शहर की निकाय के लिए 1.26 का टारगेट दिया गया है।

नगरीय क्षेत्र में दीनदयाल अंधेय योजना के तहत राश्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) में शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के लिए

ऋण उपलब्ध कराया जाता था।

सरकार ने पिछले साल के अंत में उक्त योजना को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने से स्ट्रीट वेडर्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। राजस्थान सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की है। इसमें भी जरूरतमंद एवं श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त जानकारी देते हुए अधिशाषी अधिकारी तरुण कुमार लहरी ने बताया कि इसके लिए ऐसे महिला पुरुष जो उक्त

श्रेणियों में आते हैं वह स्थानीय नजदीकी ई-मित्र पर जाकर योजना तहत ऋण हेतु लाभार्थी अपने जनाधार के माध्यम से एसएसओ पोर्टल/एए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

उक्त योजना में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों से सम्बद्ध असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक जैसे गिवगर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक गैर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉटर्स, वेस्ट वर्कर, रेसपिकर (कचरा बिनने वाले) व दस्तकार आदि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं है। पीएनई स्वनिधि स्ट्रीट वेडर्स ही लाभार्थी यो उक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

एसओजी की कार्रवाई: भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए 6 5 सरकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज

परीक्षा पास करने के लिये फेक डॉक्युमेंट लगाए और डमी कैंडिडेट बैठाए

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से पिछले 5 सालों में परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 31 के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। सभी ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। इनमें सहायक,टीचर, पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हैं। जिन्होंने एजाम पास करने के लिए फेक डॉक्युमेंट और डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल किया था। एसओजी की ओर से चार एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर वीके सिंह ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 5 सालों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में एजाम देने वाले और नौकरी हासिल करने वाले दोनों व्यक्ति की जांच की। सरकारी नौकरी पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के एज्यूकेशन डॉक्युमेंट और आवेदन के समय दिए गए आवेदन लेटर, फोटो, साइन आदि की जांच करने पर कुछ कर्मचारी संदिग्ध मिले। एसओजी की ओर से 6 जून 2024 को राजस्थान सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया गया। इसके बाद 22 मार्च 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (बीकानेर) राजस्थान को इसकी

जानकारी दी गई। 40 से अधिक विभागों ने कमेटियां बनाकर जांच की जा रही है। कमेटी की ओर से एसओजी को सूचनाएं दी जा रही हैं, जिसकी प्राथमिक जांच की जा रही है। जांच में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान (बीकानेर) की ओर से अपने नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। कमेटी के आधार पर संभाग स्तर पर टीमें बनाई गईं। डमी व फेक डिग्री के संबंध में जांच कर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपनी जांच में 297 कर्मचारियों को संदिग्ध मानते हुए रिकॉर्ड एसओजी को भेजा। एसओजी की ओर से अब तक 65 कर्मचारियों के खिलाफ सत्यापन के आधार पर कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए।

जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उनमें चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में लैब सहायक पद पर अजमल मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल लोरवाड़ा (सवाई माधोपुर) में लैब सहायक पद पर मनराज मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बांसबुर्जा नगर (डींग) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर नवीन कुमार नेहरा, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल देबावास (जालोर) में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर खुशराज सिंह मीना, राजकीय गर्ल्स

■ एसओजी ने अलग-अलग विभागों की जांच के बाद लिया एक्शन

उच्च प्राथमिक स्कूल थौबउ (जालोर) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर मुकेश कुमार चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बागरी नगर (पाली) में कनिष्ठ सहायक पद पर विजय कुमार मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल डायल (जालोर) में कनिष्ठ सहायक पद पर सुरेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बंधा (जालोर) में टीचर लेवल-1 पद पर ओमप्रकाश, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल टांगी (जालोर) में लैब सहायक पद पर मनोहर लाल,राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल होती गांव (जालोर) में कनिष्ठ सहायक पद पर श्रवण कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गलिफा (जालोर) में कनिष्ठ सहायक पद पर अरुण कुमार विश्‍नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मालवाड़ा (जालोर) में लैब सहायक पद पर रावताराम, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल धरणावास (जालोर) में टीचर लेवल-1 पद पर ओमप्रकाश विश्‍नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल धरणावास (जालोर) में टीचर लेवल-1 पद पर

अनोप राम विश्‍नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सदगांव (सांचौर) में लैब सहायक पद पर बलवंत सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल दादुसन (सांचौर) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर कैलाश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हांडेतर (सांचौर) में लैब सहायक पद पर अनिल कुमार, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल मारूखेड़ा (सांचौर) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर दीपा राम, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पाथमेड़ा (सांचौर) में कनिष्ठ सहायक पद पर प्रमा बाई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रतापपुरा (सांचौर) में कनिष्ठ सहायक पद पर पिंकी कुमारी, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल फालना (पाली) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर राजुराम सारण, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कोटड़ा (सांचौर) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर सुरेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जानेवा (नागौर) में टीचर लेवल-1 पद पर विक्रम सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गरवालिया (पाली) में शारीरिक शिक्षक अध्यापक पद पर रूपेन्द्र सिंह चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खिळावादी सांकरना (जालोर) में शारीरिक शिक्षक अध्यापक पद पर नरेश प्रताप, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल

टांगी (जालोर) में लैब सहायक पद पर सुनील विश्‍नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जलीना कलान (सांचौर) में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर रिडमल राम, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आगार (सांचौर) में शारीरिक शिक्षक पद पर पाबुराम विश्‍नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल किलूपिया (सांचौर) में शारीरिक शिक्षक पद पर सुशीला, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रोहिंगा (नागौर) में टीचर लेवल-1 विशेष शिक्षक पद पर मनोज कुमार, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रामदडी का गाला ओगाला फगलिया (बाडमेर) में शारीरिक शिक्षक पद पर दिनेश सारण कार्यरत हैं। इसका चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 को हुआ था। कमेटी की जांच में फोटो और साइन दोनों का मिलान नहीं होना पाया गया।

डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठन के पश्चात् एसआईटी हेल्पलाइन का गठन किया गया। जिसमें एसआईटी हेल्पलाइन के मोबाइल नम्बर 9530429258 जारी किये गये। एसआईटी हेल्पलाइन के उपरोक्त नम्बर पर काफी संख्या में डमी व फर्जी डिग्रियों से संबंधित परिव्‍दाएं प्राप्त हुए थे। राजस्थान में सार्वजनिक भर्ती

परीक्षाओं में डमी और फर्जी डिग्रियों की समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार से विभागवार विगत पांच वर्षों में हुई भर्तियों में कार्मिकों के की ओर से 6 जून 2024 को राजस्थान सरकार के समस्त विभागों को पत्र जारी कर गत 5 वर्ष में हुई भर्तियों के कार्मिकों के सत्यापन के संबंध में लिखा गया। इसी जांच के कम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा अपने नेतृत्व मे कमेटी गठित की गई थी। जिस पर एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा अब तक 65 कार्मिकों के विरुद्ध सत्यापन के आधार 4 प्रकरण पंजीबद्ध किये है। यह प्रकरण में व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 व 2022,त्रिष्ठि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022,अध्यापक लेवल-1 भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018-19, शारीरिक शिक्षा ग्रेड-टीआई भर्ती परीक्षा 2018 व 2022, पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2018, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018, अध्यापक लेवल-1 विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है। भविष्य में विभागवार गठित समितियों द्वारा अपनी कार्यवाही सत्यापन के दौरान संदिग्ध पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी जांच की जाएगी एवं सभी पाये जाने पर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस कमिश्नर आज झोटवाड़ा थाने में करेंगे जनसुनवाई

जयपुर । जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए 23 मई (शुक्रवार) की शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस थाना झोटवाड़ा में जनसुनवाई करेंगे। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ 23 मई (शुक्रवार) की शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस थाना झोटवाड़ा में जनसुनवाई करेंगे। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ 23 मई (शुक्रवार) की शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पुलिस थाना झोटवाड़ा में जनसुनवाई करने जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस थाना झोवाड़ा, मुरलीपुरा, करघनी, कालवाड़, हरमाडा एवं विश्वकर्मा क्षेत्र के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है।

कार सवार बदमाशों ने किया इंजीनियरिंग छात्र का अपहरण

■ लोगों का पीछा करने पर चलती कार से धक्का देकर फेंका

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में इंजीनियरिंग छात्र का अपहरण करने का मामला सामने आया है। जानकारी में सामने आया कि शोर सुनकर लोगों के पीछा करने पर अपहरणकर्ताओं ने चलती कार से इंजीनियरिंग छात्र को धक्का देकर रोड पर फेंक दिया। पीड़ित छात्र ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने कारवाई करते हुए दो आरोपियों को राउंडअप कर कार को जब्त किया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

एसएसआई घनश्याम ने बताया कि बारां के अटरु निवासी प्रिंस मीणा (18) का अपहरण हुआ था, जो शिवदासपुरा में श्रीराम की गंगा में किराए पर रहकर प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की पढाई कर रहा है। जो बुधवार की देर शाम को गोरेर मोड़ से पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें बैठे दो लड़कों ने ज़रूरी काम होने की बताकर बात करने के लिए मोबाइल मांगा। बात

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिलीं 10 दुर्लभ पाण्डुलिपियां

जयपुर। आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध को एक नई दिशा देने वाला अहम योगदान हाल ही में जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्राप्त हुआ है। संस्थान के आयुर्वेद पाण्डुलिपि विज्ञान विभाग को फतेहपुर (सीकर) स्थित श्री सरस्वती पुस्तकालय से 10 अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियां अध्ययन एवं शोध के लिए प्रदान की गई हैं।

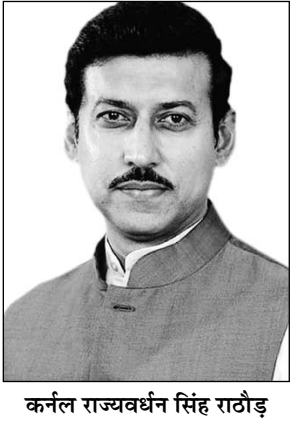
विभागाध्यक्ष प्रो. असित कुमार पांड्या ने बताया कि प्राप्त पाण्डुलिपियों में भावप्रकाश, रसतरंगिणी, गजस्वरूप प्रकाश, पालकाय संहिता, तर्कसंग्रह, सामुद्रिक हस्तलिखित और संतान गोपाल मंत्र विधि जैसे बहुमूल्य ग्रंथ शामिल हैं। इन पांडुलिपियों का ऐतिहासिक और चिकित्सकीय महत्व अपार है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।

संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने इस अमूल्य सहयोग के लिए सरस्वती पुस्तकालय के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह योगदान न केवल प्राचीन ज्ञान की रक्षा में सहायक होगा, बल्कि वर्तमान पीढ़ी के वैज्ञां और शोधकर्ताओं के लिए भी अमूल्य मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने इसे आयुर्वेदिक ज्ञान-विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। इन पांडुलिपियों से न केवल संस्थान के शिक्षक और चिकित्सक रोगनिदान और उपचार के क्षेत्र में नए आयाम खोज सकेंगे, बल्कि अध्ययनरत छात्र भी प्राचीन आयुर्वेद की बारीकियों से रूबरू हो सकेंगे। पांडुलिपियां प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि दल में असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा, डॉ. कृष्ण दास, डॉ. नीतिशा, डॉ. सुक्रमण्यन और डॉ. कीर्ति सिंहल शामिल रहे।

रीको ने औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा-विस्तार के विकास के लिए 4 5 करोड़ रु. मंजूर किए : राज्यवर्धन राठौड़

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ रीको औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं।

छोछो एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा-विस्तार, जयपुर के उद्यमियों को उगत आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो, इस हेतु रीको द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए करीब 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि को सड़कों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। रीको का प्रयास है कि औद्योगिक क्षेत्रों में डडमी अपने उद्यमों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकें।



कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़

इसी कड़ी में विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा-विस्तार, जयपुर के लिए रीको ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में

लगभग 28 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की तथा लगभग 17 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए।

इसके अंतर्गत दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों का डामरीकरण / सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कार्य, नालियों का उन्नयन कार्य एवं ओवरहेड पावर लाइन को भूमिगत केबल द्वारा स्थानांतरित करने में से कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगति पर है। रीको द्वारा समय-समय पर इन औद्योगिक क्षेत्रों में एसोसिएशन एवं उद्यमियों से विचार-विमर्श कर उनकी मांगों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन एवं रखरखाव का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा-विस्तार, जयपुर के लिए रीको ने कुल 2791.85

■ 2024-25 में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की पहल से 28 करोड़ की स्वीकृति, 17 करोड़ के कार्यादेश

लाख रुपये की राशि स्वीकृत की एवं 1726.20 लाख रुपये के कार्यादेश जारी किए। अब तक उक्त कार्यों में 423.82 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत लगभग 14 किमी लंबाई में सड़क के डामरीकरण / सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कार्य, 13,500 वर्ग मीटर में पेव्ड शोल्डर निर्माण, 2.50 किमी नालियों का उन्नयन तथा 3.50 किमी लंबाई में ओवरहेड

अवैध हथियार सहित दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत नाहरगढ़ थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए आपसी रंजिश में फायरिंग करने की नितय से अवैध हथियार सहित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी कट्ठा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन कंवैया ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत सीएसटी नेनाहरगढ़ थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए आपसी रंजिश में फायरिंग करने वाले बदमाश राहुल मीणा(27) और राहुल साहू (26) को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपी नाहरगढ़ रोड जयपुर इलाके के रहने वाले हैं। जिनके पास से पुलिस ने एक देशी कट्ठा और आठ जिंदा कारतूस जब्त की है।

विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक

जयपुर। राजस्थान सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ. निर्मल जैन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, युवाओं में राष्ट्रभ्रम की भावना जागृत करने सहित कई समसामयिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। डॉ. जैन ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर रक्षा मंत्री को हार्दिक बधाई दी और भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत और कुशल रणनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है।

■ भाजपा मंडल अध्यक्ष की ओर से दर्ज कराई गई थी एफ.आई.आर.

गंभीर रूप से घायल कर दिया। रिपोर्ट में हत्या का प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा गया कि उस कार में बंद कर जान से मारने की कोशिश भी की गई। एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ऐसे में हत्या का प्रयास का अपराध नहीं बनता। इसके अलावा पूरा विवाद अंबेडकर जयंती से ठीक पहले का है। शिकायतकर्ता ने अपने साथियों से मिलकर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे नाम पट्टिका को टाड़लें तोड़कर सद्भाव खराब करने का प्रयत्न किया था। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने अलग से हनुमत दीक्षित व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी

है। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसे रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर के बौली में करीब दो साल पूर्व भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। जिसकी शिलान्यास पट्टिका में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी नाम था। अंबेडकर जयंती से पहले विधायक इंदिरा और मंडल अध्यक्ष हनुमंत के बीच इस नाम पट्टिका को लेकर विवाद हुआ था। एमएलए के समर्थकों का कहना है कि हनुमत दीक्षित ने नाम पट्टिका से विधायक का नाम हटा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मौके पर पहुंची थी। जहां दोनों के बीच हाथापाई हुई थी।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी

जयपुर। राजस्थान सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ. निर्मल जैन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, युवाओं में राष्ट्रभ्रम की भावना जागृत करने सहित कई समसामयिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

डॉ. जैन ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर रक्षा मंत्री को हार्दिक बधाई दी और भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत और कुशल रणनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है।

इसके साथ ही डॉ. जैन ने अवगत कराया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सान्निध्य में तिरंगा यात्राओं का सफल आयोजन किया गया, जिसने प्रदेशभर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का सख्त संदेश प्रसारित किया। इन यात्राओं में



राजस्थान सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ. निर्मल जैन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की।

जनसामान्य, विशेषकर युवाओं को उल्लेखनीय भागीदारी रही।

राजनाथ सिंह ने डॉ. जैन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि

राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भेंट राष्ट्रिहत से जुड़े विभिन्न

विषयों पर संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुई और आने वाले समय में जनहित में ठोस पहलों की संभावनाएं प्रबल हुई हैं।

मोतीलाल मीणा ऑयल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ऑयल इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत, निष्ठा और समर्पण को कभी अनदेखा नहीं करती। पार्टी में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को सही समय पर पहचान और बिम्बेदारी दी जाती है। भाजपा के समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को भारत सरकार के अधीन आने वाली प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणाश्रोत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि बीजेपी में मेहनत और वफादारी का हमेशा सम्मान होता है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ऑयल इंडिया कंपनी के नवनि्युक्त डायरेक्टर मोतीलाल मीणा ने कहा ऑयल इंडिया कंपनी में मेरी नियुक्ति गर्व का क्षण है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दूरदृष्टि के साथ निभाने का संकल्प लेता हूँ। ऊर्जा क्षेत्र के निरंतर विकास, पारदर्शिता और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए, मैं कंपनी की लग्न और राष्ट्र के ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपने सहयोगियों, वरिष्ठों और समस्त हितधारकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया।

स्वतंत्र डायरेक्टर मीणा ने कहा कि “भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है

जो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़े से बड़े पद तक पहुंचा सकती है। मुझे यह सौभाग्य मिला कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थान में डायरेक्टर के रूप में सेवा का अवसर दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मकन राठौड़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक सामान्य परिवार से आते हैं और आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उसी तरह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी शायद यह अनुमान नहीं था कि वे इस ऊंचे पद तक पहुंचेंगे। इससे यह साबित होता है कि भाजपा में हर कार्यकर्ता की लॉटरी कभी भी खुल सकती है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, कार्यालय स्टॉफ ने बधाई दी। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता डॉ अर्पूवी सिंह, एकता शर्मा, भाजपा पदाधिकारी महेंद्र सिंह पंवार, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुरूवंशी,अनुराग जांगिड, आशीष शर्मा, नवरत्न नरागियां, राजेश ताबी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल मीणा को बधाई दी।

■ सार-समाचार

पीसीएम मसाले की वार्षिक आम बैठक सम्पन्न



जयपुर। पिक सिटी मिल्स (पीसीएम मसाले), जयपुर की वार्षिक आम बैठक का आयोजन आज कंपनी मुख्यालय पर किया गया। इस बैठक और संस्थापक सदस्य किशन अवतार खंडेलवाल ने कहा इस अवसर पर संस्थापक सदस्य द्रोपती देवी, माया देवी खंडेलवाल तथा निदेशक अमित खंडेलवाल एवं अंकित खंडेलवाल सहित अन्य आठ बोर्ड सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में एल. गुप्ता एवं किशन अवतार खंडेलवाल ने जानकारी दी कि कंपनी को भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा करते हुए 58 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीसीएम मसाले राजस्थान की पहली एगमाक प्रमाणित मसाला निर्माता कंपनी है, जो 80 से अधिक प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती है। कंपनी के निदेशक अमित खंडेलवाल एवं अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पीसीएम ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पादों की आपूर्ति शुरू की है। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द ही इंस्टेंट ड्राई ग्रेवी और इंस्टेंट चटनी के और भी नए उत्पादों को श्रृंखला लॉन्च करने की योजना बना रही है। संस्थापक सदस्यों द्रोपती देवी और श्रीमती माया देवी खंडेलवाल ने बताया कि कंपनी की “केजी रिटेलर्स योजना” इस माह के अंत तक समाप्त हो रही है, जिसे देशभर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। साथ ही, कंपनी ने नवीनतम तकनीकों से युक्त नई रेसिओ मशीन योजना भी क्रियान्वित की है, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी। कंपनी निकट भविष्य में बड़े स्तर पर विस्तार की योजनाएं लेकर आ रही है।

एक पिस्टल सहित एक आरोपी पकड़ा

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने कानोता थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपित के पास से एक पिस्टल बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन कंवैया ने बताया कि ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत सीएसटी ने कानोता थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार देशी पिस्टल रखने वाले आरोपित कृष्ण कुमार शर्मा (35) निवासी कानोता जयपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल जब्त की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह अवैध हथियार उसकी मौसी का लडके जितेश शर्मा उर्फ जौतू निवासी गुजर की थडी महेश नगर ने उसे रखने के लिए दी थी और इस अवैध हथियार के साथ दो कारतूस भी थे,जिनको 10 मई को उसके जन्मदिन पर फायर कर दिए गए।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने देशनोक में 1 0 3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और

वन रक्षक पेपर लीक में तीन और गिरफ्तार

जयपुर, 22 मई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, वनरक्षक उमाराम, प्यारी व दलाल रोश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम पछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने

■ **अति. पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया तथा दलाल रमेश कुमार ने पेपर पढ़ने की एवज में आठ लाख रुपये प्राप्त किये।**

बताया कि 12 मार्च 2025 को कंवरा राम जाट को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पछताछ में सामने आया कि उसने वनरक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को 13 नवंबर 2022 का वन रक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व उदयपुर में पढ़ाया था। पेपर पढ़ने वाले वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी उमाराम ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराम जाट को 1 लाख रुपये व प्यारी कुमारी के भाई वांछित आरोपी हीराराम ने अपनी बहिन के पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराम जाट को 3 लाख रुपये दिया। इसके अतिरिक्त, पूर्व में गिरफ्तार वनरक्षक टिगो के दलाल रोश कुमार को वनरक्षक का पेपर पढ़ने की एवज में उसके भाई महेन्द्र से 8 लाख रुपये प्राप्त कर, अपने मित्र कंवरा राम चौधरी स्टेशन मास्टर के माफ़त, एन डी सारण को 7 लाख रुपये दिये थे, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पछताछ के लिए 26 मई तक रिमांड दिया है।

अब हर आतंकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
थी। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां राजस्थान के बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ही ऐसा संयोग बना है। सभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मां करणी के मंदिर में दर्शन करने आए हैं।

कार्यक्रम का शुरुआत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह स्वरूप चरखा भेंट कर स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह की सदस्या सुमित्रा, अर्जुन अवाडी मगन सिंह राजवी एवं कर्नल हेमसिंह ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैवा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित, राज्य के कई मंत्रीगण सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशनोक रेलवे परिसर में शहीदों के सम्मान में लगी प्रदर्शनी गैलरी का भी अवलोकन किया।

बच्चों द्वारा बनाई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता के जयघोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री

अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन व स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 1300 से

सात प्रतिनिधिमंडल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इसी दौरान, नई दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक अन्य राज्यों में बदलते समीकरणों को लेकर कयास लगा रहे हैं। बिहार, जहाँ वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में तुरंत कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं दिखता, लेकिन स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया ब्लॉक दोनों के पक्ष और विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हो रही है, जब मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल, भले ही महत्वपूर्ण हो, घरेलू राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास हो सकती है, खासकर वह भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुट राष्ट्रीय मोर्चा बिना सकती है।

भौतीरी विवादों और राजनीतिक उठापटक के बावजूद, यह वैश्विक मिशन रणनीतिक सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा

नीट पीजी सीट ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली, 21 मई। नीट पीजी में सीट ब्लॉकिंग की बढ़ ती शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। अब देश की सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग शुरू होने से पहले अपनी पूरी फीस संरचना (ट्यूशन फीस, हाॅस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य शुल्क) सार्वजनिक करनी होगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर

■ **सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि काउन्सिलिंग से पहले सभी मैडिकल कॉलेजों को फीस बतानी होगी।**

करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी, शासन में समन्वय की कमी और नीतियों के ढाले पालन जैसी समस्याएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें - सभी यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग से पहले फीस का खुलासा

अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के आठ रेलवे स्टेशन देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, माण्डलगढ़ , गोविंदगढ़ , मण्डावर-महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए व आरती उतारी तथा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। श्रीकरणी मंदिर निजी प्रत्यास के अध्यक्ष बादल सिंह देपावत ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह व मां करणी का साहित्य भेंट किया।

राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा व्यंग्य

नयी दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमाग टंडा' तथा 'खून गरम' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी को खोखले भाषण देना बंद कर यह बताया चाहिए कि देश के हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इधर-उधर की बातें नहीं करनी

■ **राहुल गाँधी ने कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आपका खून कैमरों के सामने ही क्यों गरम होता है।**

चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे खालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अफमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत, एक केन्द्रीकृत फीस रेगुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों और कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी—जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की जम्ती, भविष्य की नीट पीजी परीक्षाओं से अयोग्यता, और कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसिलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर ईडी की रेड पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की

■ **तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ईडी को एक हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में राज्य विपणन निगम के खिलाफ मनी लॉण्डरिंग जांच की अनुमति दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।**

पीठ ने केन्द्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइफ़्ट विलेज कार्यक्रम—2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर

■ **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बनीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।**

प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सीमागत के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला— केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार

इन चारों जातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

सभा को सम्बोधित करते हुए, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस दौरान 34 हजार किलोमीटर लंबी रेल पटरियाँ बनी हैं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। 47 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में छोटे और मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले देश में एक साथ 1062 रेलवे स्टेशनों के विकास की नींव रखी थी। आज इनमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 100 स्टेशनों के 8 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे।

नाबालिग से दुष्कर्म करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ौसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिये हैं। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ौस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारा गत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, “उन्हें (सी बी आई को) 4–5 कुर्तों-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान को बेठा हूँ, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।” केन्द्रीय एजेंसी ने ‘चिनानव

पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।

सतपाल मलिक के खिलाफ ...

वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी बी पी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के भित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, “उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रह हो जाने के बाद, सी बी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए एये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अनंततागत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।”

वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान

बहस चली इस “स्टे” की माँग पर

–जाल खंबाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन)

अभिनियम, 2025 की कुछ विवादस्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उठ प्राप्तधनों की लेकर दी गई है, जिनमें “उपयोग द्वारा

वक्फ (वक्फ बाई यूजर) सम्पाति,

केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के “विवादित” वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत
एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जनित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जनित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी को कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

सिंधवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह और अन्य ने बहस में हिस्सा लिया। उनका तर्क था कि संशोधित कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उनके मूलभूत धार्मिक कार्यों और परम्पराओं को निशाना बनाता है, और विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना ही, वक्फ संपत्तियों को मनमाने तरीकों से जब्त

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि “उपयोग द्वारा वक्फ” (वक्फ बाई यूजर) की अवधारणा को समाप्त करने से वे ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान और धार्मिक सम्पत्तियाँ प्रभावित होंगी, जिनके औपचारिक नवीकरण नहीं हैं, लेकिन जो सदियों से धार्मिक रूप से उपयोग में हैं और अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी का विरोध किया। उनका कहना था कि इस तरह की नियुक्तियाँ मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हैं और यह अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक पंथों को अपनी संस्थाओं के संचालन में स्वायत्तता प्रदान करते हैं।

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

विवाह के तीन माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा। विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कोठारमन दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2017 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के

और हथियार देना शुरू कर दे, भारत की स्वतंत्र नीति को सजा देने के लिए। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी नाराजगी किस हद तक ले जाता है। लेकिन यह लगभग तय है कि प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। ऐसे में भारत को हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालाँकि, भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश को अपनी मूल नीतियों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटना चाहिए—चाहे धमकी दुनिया के बससे शक्तिशाली देश से हो क्यों न मिले रहा हो।